न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 49/2017 (225 आरटीए) मंगनाराम बनाम रामकिशन वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00211)

1 मंगनाराम पुत्र श्री गुलाबाराम जाति विश्नोई, निवासी शिवपुरी तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 रामाकिशन पुत्र श्री खींयाराम,
2 मानाराम पुत्र श्री खींयाराम,
जातियान विश्नोई, निवासीगण शिवपुरी तहसील लोहावट जिला जोधपुर।
3 राजस्थान राज्य, तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 25.04.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 88/2011

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल।
2 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार एवं श्री पूनाराम विश्नोई।
3 रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 12.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 88/2011 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 88/2011 पेश किया कि उनकी संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम शिवपुरी, तहसील लोहावट के खसरा

12/9/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नं. 2360 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 2361 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 2362 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 2364 रकबा 40 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 2364/3101 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 2364/3102 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 2366 रकबा 30 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 101 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि में खींयाराम का 1/12 हिस्सा है। उक्त भूमि में खींयाराम के बंट की जमीन में रेस्पो. सं. 1 व 2 का व बगताराम व मृतक पुखराज का 1/5 हिस्सा है। खींयाराम ने रेस्पो. सं. 1 व 2 को उनके बंट की जमीन से महरूम करने की नियत से अपनी खातेदारी की भूमि में अपने हिस्से को अपीलांट को हकतर्कनामा दिनांक 11.05.2011 अपीलांट के पक्ष में पंजीयन करवा दिया, जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं था। जबकि रेस्पो. सं. 1 व 2 की रहवासीय ढाणियां आई हुई हैं। विधि विरुद्ध हकतर्कनामा की ओट में म्यूटेशन भरवाना चाहते हैं जिन्हें रोकने हेतु दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को नोटिस जारी किए गए। बाद तामील पत्रावली में जवाब प्रस्तुत किया कि खींयाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिए हकत्याग किया गया है तथा उनका मौके पर कब्जा है। खींयाराम का विवाह जमना के साथ हुआ तथा जमना के वैवाहिक जीवन से बगताराम व पुखराज का जन्म हुआ तथा रणुराम नाम के व्यक्ति का निधन होने पर उसकी पत्नी सोनी ने खींयाराम की पत्नी जमना होते हुए उसके साथ रही जिससे रेस्पो. सं. 1 व 2 का जन्म हुआ, जिन्हें उपरोक्त भूमि में किसी तरह का हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। भूमि में संयुक्त परिवार के हिस्सेदार नहीं होने के कारण रेस्पो. सं. 1 व 2 को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात रेस्पो. सं. 1 व 2 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का आदेश दिनांक 25.04.2017 को पारित किया । अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान सहायक कलेक्टर ने आलोच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। रेस्पो. सं. 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य नहीं होने के कारण विवादित भूमि में से किसी भी तरह का हिस्सा नहीं रखते हैं तथा न ही उनका

12/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटपुतली

उपरोक्त भूमि में किसी तरह का अधिकार उत्पन्न होता है। भूमि को पैतृक भूमि नहीं माना जा सकता है तथा खींयाराम के जीवित रहते रेस्पो. सं. 1 व 2 को अधिकार उत्पन्न नहीं होने के कारण अपीलांट की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त व निरस्त किए जाने योग्य है। प्रकरण में खींयाराम आवश्यक पक्षकार है जिसको पक्षकार बनाए बिना ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो पक्षकारों के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है। खींयाराम द्वारा अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि का जरिए पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करवाए बिना किसी तरह का कोई अधिकार रेस्पो. 1 व 2 को उत्पन्न नहीं होता है। इस कारण भी अपीलांट की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में भूमि को पैतृक भूमि नहीं माना गया है। तथा अवैधानिक बच्चों को संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता है। इस कारण अवैधानिक बच्चों को जन्म से ही भूमि में हक व हिस्सा बनना नहीं पाया जाता है तथा खींयाराम द्वारा जीवित रहते ही अपनी हक व हिस्से की भूमि का हस्तांतरण किए जाने के कारण रेस्पो. 1 व 2 को विवादित भूमि में किसी तरह का अधिकार उत्पन्न नहीं होने के कारण अपीलांट की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा जरिए पंजीबद्ध दस्तावेज के जरिए हक व अधिकार व कब्जा प्राप्त किया गया है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं। जिस कारण खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस कारण भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज किए जाने योग्य है। रेस्पो. सं. 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन साबित नहीं किया है। अपीलांट विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार व काबिज होने के कारण अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी रेस्पो. ने अपने पक्ष में साबित नहीं किया। इस कारण भी अपीलांट की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2009 लॉसूट (एस.सी.) 1182 पेश किया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार एवं श्री पूनाराम विश्नोई ने बहस में कथन किया कि रेस्पो. सं. 1 व 2 संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं जिनकी पैतृक भूमि गांव शिवपुरी में खसरा नं. 2360 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 2361 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 2362 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 2364 रकबा 40 बीघा 3 बिस्वा,

12/9
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 2364/3101 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 2364/3102 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 2366 रकबा 30 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 101 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि में खींयाराम का 1/12 हिस्सा है। रेस्पो. सं. 1 व 2 व बगताराम व मृत पुखराज खींयाराम के पुत्र होने से खींयाराम के बंट की जमीन में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा यानी कुल जमीन में 1/60 हिस्सा भूमि आती है। उक्त भूमि पैतृक है, खींयाराम कर्ताखानदान होने से खातेदारी में उनका नाम है मगर प्रत्येक प्रार्थी का उक्त भूमि रेस्पो. सं. 1 व 2 के हिस्से में 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि आती है। जिस पर उनका कब्जा काश्त है। रहवासी ढाणी बनी हुई हैं। खींयाराम ने रेस्पो. 1 व 2 को उनके बंट की जमीन से महरूम रखने की नियत से उक्त अपने नाम की संपूर्ण भूमि का एक हकतर्कनामा दिनांक 11.05.2011 को अपीलांट/अप्रार्थी सं. 1 मंगनाराम के बंट में तहरीर कर पंजीयन करवा दिया जो सरासर विधि विरुद्ध करवाया गया है। खींयाराम का उक्त भूमि में 1/60 हिस्सा ही था उससे अधिक हकतर्क करने का अधिकार नहीं था जिससे उक्त हकतर्कनामा रेस्पो. सं. 1 व 2 के खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध कानूनी शून्य व प्रभावहीन माना जाने योग्य हैं। उसके आधार पर अप्रार्थी सं. 1/अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं वह उसके आधार पर उसका नामांतरकरण अथवा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने का हकदार नहीं हैं। अपीलांट मंगनाराम अपने पक्ष में किए गए विधि विरुद्ध हकतर्कनामा के आधार पर उक्त भूमि का नामांतरकरण अपने नाम से करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है तथा रेस्पो. सं. 1 व 2 को उनके बंट की जमीन से जबरन बेदखल करवाना चाहता है। अतः रेस्पो. सं. 1 व 2 अपीलांट के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई व अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रेस्पो. सं. 1 व 2 को खींयाराम के पुत्रगण होना माना है तथा वादग्रस्त भूमि को भी राजस्व रिकार्ड के आधार पर पैतृक भूमि होना माना है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन रेस्पो. सं. 1 व 2 के पक्ष में होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश के जरिए स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति यह है कि वाद ग्रस्त भूमि में खींयाराम का 1/12 हिस्सा दर्ज है। खींयाराम के चार पुत्र हैं जिनमें से प्रथम विवाहिता से बगताराम व पुखराज थे तथा प्रथम पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी से रामाकिशन व मानाराम हुए। उक्त भूमि में रेस्पो. सं. 1 व 2 ने अपना 1/5–1/5 हिस्सा मानते हुए घोषणा व बंटवारे का दावा किया है। तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है।

रेस्पो. सं. 1 व 2 ने यह कथन किया है कि खींयाराम ने रेस्पो. सं. 1 व 2 को उनके बंट की जमीन से महरूम करने की नियत से अपनी खातेदारी की भूमि में अपने हिस्से को अपीलांट को हकतर्कनामा दिनांक 11.05.2011 अपीलांट के पक्ष में पंजीयन करवा दिया, जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं था। जबकि वादग्रस्त भूमि में खींयाराम के बंट की जमीन में रेस्पो. सं. 1 व 2 का व बगताराम व मृतक पुखराज का 1/5–1/5 हिस्सा है। विधि विरुद्ध हकतर्कनामा की ओट में अपीलांट म्यूटेशन भरवाना चाहते हैं जिन्हें रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो अधीनस्थ न्यायालय ने सही स्वीकार किया है व अपील खारिज योग्य है।

अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि रेस्पो. सं. 1 व 2 दूसरी पत्नी से उत्पन्न अवैधानिक बच्चों को संयुक्त परिवार के सदस्य नहीं माना जा सकता है। इस कारण विवादित भूमि में से किसी भी तरह का हिस्सा नहीं रखते हैं तथा न ही उनका उपरोक्त भूमि में किसी तरह का अधिकार उत्पन्न होता है। वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि नहीं माना जा सकता है तथा खींयाराम के जीवित रहते रेस्पो. सं. 1 व 2 को अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अवैधानिक बच्चों को कोई अधिकार नहीं होने से जन्म से ही वादग्रस्त भूमि में हक व हिस्सा बनना नहीं पाया जाता है। खींयाराम द्वारा जीवित रहते ही अपनी हक व हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड हकतर्कनामा अपीलांट के पक्ष में किए जाने के कारण रेस्पो. 1 व 2 को विवादित भूमि में किसी तरह का अधिकार उत्पन्न नहीं होने के कारण अपीलांट की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त स्थिति में इस प्रकरण में यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या दूसरी पत्नी से उत्पन्न अवैधानिक संतान को उक्त वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार है या नहीं। इस संबंध में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2009 लॉसूट (एस.सी.) 1182 का ससम्मान अवलोकन किया गया। इस नजीर में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

यदि हिंदू पुरुष की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उसकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्रियों का कोई अधिकार इस नजीर में नहीं माना है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में पिता जीवित है तथा उसके दो पुत्र पहली विवाहिता पत्नी से है तथा दो पुत्र दूसरी पत्नी से हैं जो अवैध संतान बताई जा रही हैं। इस प्रकार नजीर के प्रकरण के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न हैं अतः यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

इस प्रकरण में खींयाराम के हिस्से की वादग्रस्त भूमि में रेस्पो. सं. 1 व 2 का अधिकार निहित है या नहीं यह तो संपूर्ण रूप से दावे में विस्तृत साक्ष्य से ही तय हो सकेगा। परंतु प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि में रेस्पो. सं. 1 व 2 ने 1/5 व 1/5 हिस्सा मानकर दावा किया है। तथा इस प्रकार खींयाराम अपने संपूर्ण हिस्से का हकतर्कनामा को उनके अधिकार तक शून्य माना है। अतः अस्थाई निषेघाज्ञा जारी करने का निवेदन किया व तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है कि अप्रार्थी सं. 1/अपीलांट के विरुद्ध मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण/रेस्पो. सं. 1 व 2 के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

9 इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र की स्टेज पर कोई हक है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए प्रकरण से संबंधित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों व उनमें प्रतिपादित सिद्धांतों का अवलोकन किया गया। इन प्रतिपादित सिद्धांतो का सारांश यहां प्रस्तुत किया जा रहा है :–

"It shall be the duty of state to apply these principles in making laws, that judicial process is 'state action' and that the judiciary is bound to apply the directive principles in making its judgement." going by this process we are the opinion that article 39 (f) must be kept in mind by the court while interpreting the provision of section 16(3) of Hindu mairrage Act. Article 39(f) of the constitution runs as follows : "39. Certain principles of policy to be followed by the state : the state shall, in particular, directs its policy towards securing- (f) that children are given opprtunities and facilities to devlop in a healthy manner and condition of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and

material abandonment."

अतः उक्त प्रतिपादित सिद्धांतों के मध्यनजर संशोधित हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(3) के अनुसार पहली विवाहिता पत्नी एवं दूसरी पत्नी से उत्पन्न अवैध संतान के अधिकारों में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में दूसरी पत्नी से उत्पन्न अवैध बच्चों (संतान) को उनके पिता की संपत्ति में चाहे वह स्व अर्जित हो या पैतृक हो में अधिकार निहित मानना न्यायोचित है एवं उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन रेस्पो. सं. 1 व 2 के पक्ष में हैं यदि हकतर्कनामा से संपूर्ण खींयाराम के हिस्से की संपूर्ण भूमि अपीलांट के नाम विभाजन एवं घोषणा के दावे से पूर्व दर्ज कर दी जावेगी तो इससे अपूर्णीय क्षति रेस्पो. सं. 1 व 2 को होगी। दूसरी ओर अपीलांट के कोई हक व अधिकार हकतर्कनामा से उत्पन्न हुए हैं तो वह दावे के दौरान विस्तृत साक्ष्य से ही तय हो सकेंगे। अतः प्रार्थना पत्र की स्टेज पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2017 यथावत रखा जाता है।

12/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर